



आवंटनादेश

सं०-01/दि०स०नि०(बजट)-08/2026 स.क.-
प्रेषक,

पटना, दिनांक-

भुवन कुमार,
उप निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

सेवा में,
सहायक निदेशक-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के विशेष घटक से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल रू० 2,56,25,000/- (दो करोड़ छप्पन लाख पचीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-3/यो०स०क०-20/2022-10 दिनांक-13.04.2026 (संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के विशेष घटक में कुल रू० 14,00,00,000/- (चौदह करोड़ रुपये) मात्र के राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत राशि के आलोक में उद्योग विभाग, बिहार के माध्यम से क्रियान्वित मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल रू० 2,56,25,000/- (दो करोड़ छप्पन लाख पचीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है ।

2. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिये गये पूर्व के आवंटनादेश के अतिरिक्त है ।

3. भारत राशि की निकासी मांग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0111-मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल), विषय शीर्ष-0111.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड-51-2235027890111 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक-09.03.2026, 2956/वि० दिनांक-25.03.2026, 314/वि० दिनांक-01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी आवंटन के आलोक में बिहार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए, सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी ।

6. सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा राशि की निकासी कर उद्योग मित्र, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पी०एल० खाता सं०-PBBPLA018 में राशि CFMS के माध्यम से हस्तांतरित/भुगतान करेंगे तथा उक्त राशि के विरुद्ध व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसका सामंजन करना सुनिश्चित करेंगे।

7. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-270 के आलोक में योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी BTC Form 42 पर करने की स्वीकृति दी जाती है ।



8. भुगतान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उद्योग मित्र, उद्योग विभाग द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसे निदेशालय द्वारा महालेखाकार कार्यालय को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-271 के अनुसार BTC Form 42A में भेजा जायगा।

9. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. प्रस्ताव पर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०(बजट)-08/2026 स.क.-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप निदेशक

ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०(बजट)-08/2026 स.क.-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप निदेशक

ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०(बजट)-08/2026 स.क.- 06

पटना, दिनांक:- 19.05.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित (आवंटनादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित)।

उप निदेशक